क0न0 7756

कार्यालय - कार्यालय - राजस्व अभिलेखागार
कलै0ट0 अलीगढ

न्यायालय उप जिलाअधिकारी गभाना (अलीगढ)

वाद संख्या 19/2020 - 21

अर्न्तगत धारा—143 ज0वि0एवं भू0व्य0अधिनियम
मौजा — चण्डौस, परगना, तहसील गभाना।

<u>गायत्री लोक कल्याण संस्थान द्वारा सचिव गणेशदत्त शर्मा बनाम गांव सभा</u>

नकल **<u>निर्णय</u>** दिनांक -12-06-21

प्राथी गायत्री लोक कल्याण संस्थान द्वारा सचिव गणेशदत्त शर्मा पुत्र चन्द्रेशेखर शर्मा निवासी चण्डौस तहसील गभाना द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मौजा चण्डौस के खाता संख्या 440 के गाटा संख्या 1115 रक्बा 2.602 हैक्टअर मे से 1.154 हैक्टेअर भूमि पर वर्तमान में कोई खेती कार्य नही कर रो रहा है बल्कि आवासीय प्रयोजन हेतु उपयोग कर रही है। साथ ही प्रार्थना की है कि उक्त भूमि आकृषिक होने के कारण आबादी घोषित कर लगान समाप्त करने की कृपा करें।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार गभाना से जॉच करायी गई। लेखपाल की आख्या दिनांक 25.02.2020 एवं तहसीलदार गभाना की जॉच आख्या दिनांक 30.11.2020 द्वारा अर्न्तगत धारा 143 ज0वि0एवं भू0व्य0अधिनियम एवं नियम 135 इस न्यायलय को प्रेषित की गई। तहसील आख्या द्वारा अवगत कराया गया है कि मौजा चण्डौस के खता संख्या 651 रक्बा 4.529 लगान 136.20 रु0 मे प्रार्थी संक्रमणीय भूमिधर सह खातेदार दर्ज कागजात है तथा अन्य कृषिको की सहमति की दशा मे गाटा संख्या 1115 मि. रक्बा 2.602 हैक्टेअर मे से 1.154 हैक्टेअर लगान 27.15 रु0 भूमि पर दो वर्ष से कोई कृषि कार्य नही हो रहा है। साथ ही उक्त भूमि को धारा — 143 ज0वि0एवं भू0व्य0अधिनियम के अर्न्तगत लगान समाप्त कर अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध लेखपाल/तहसीलदार गभाना की आख्या व खतौनी आदि का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यो के अवलोकन से विदित होता है कि मौजा चण्डौस के गाटा संख्या 1115 मि. रक्बा 2.602 हैक्टेअर में से 1.154 हैक्टेअर भूमि लगान 27.15 रु0 पर वर्तमान मे कोई कृषि सम्बन्धी कार्य मे न होकर आवासीय प्रायोजन मे उपयोग मे की जा रही है जिस कारण से उक्तभूमि को अकृषिक भूमि घोषित किया जाना न्यययोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

उपरोक्त विश्लेषण के आधारपर मौजा चण्डौस के खाता संख्या 440 के गाटा संख्या 1115 मि. रक्बा 2.602 हैक्टेअर लगानी 27.15 रु0 भूमि पर वर्तमान मे आवासीय प्रयोजन हेतु उपयोग करने के कारण वार्षिक लगान समाप्त कर अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी किया जाये। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक गभाना को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायें। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक :— 12.06.2021

S.d

(दीपक मीणा)
उपजिलाधिकारी
गभाना

सत्य प्रतिलिपि, लिपिक कर्ता [illegible]
मिलान कर्ता [illegible]
राजस्व अभिलेखागार संख्या [illegible]
अलीगढ़

नकल पत्र देने का दिनांक 06/03/21